उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

भू–वापसी अपील वाद संख्या– 27/2023

विजेन्द ठाकुर वगै० बनाम् रामेश्वर बेदिया एवं राज्य सरकार

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
22/02/24	इस वाद की कार्यवाही अपीलार्थी 1. विजेन्द ठाकुर, पिता–रघुनन्दन ठाकुर, 2. धर्मेन्द्र ठाकुर, पिता–विजेन्द्र ठाकुर, 3. जितेन्द्र ठाकुर, पिता–विजेन्द्र ठाकुर, सभी निवास ग्राम–मनुवा टोला बिंझार, पो०–हेसला, थाना–गिद्दी ए, जिला–रामगढ़ द्वारा भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ के न्यायालय में दायर भू–वापसी वाद संख्या–19/2017–18 रामेश्वर बेदिया बनाम बिजेन्द्र ठाकुर मे दिनांक–06.12.2022 को पारित आदेश के विरूद्ध U/S– 215 C.N.T. Act-1908 के तहत न्यायालय में अपील दायर किया गया। जिसे अंगीकृत करते हुए द्वितीय पक्ष को नोटिस निर्गत किया गया एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख की माँग की गई। प्रश्नगत भूमि मौजा–मनुवा, थाना नं०–139 के खाता नं०–72 प्लॉट सं०–1242 कुल रकवा–0.10 ए० भूमि से संबंधित है। उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं एवं सरकारी अधिवक्ता को सुना एवं उनके द्वारा समर्पित आवेदन, प्रत्युतर, निम्न न्यायालय का आदेश एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया। उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं एवं सरकारी अधिवक्ता को सुनने एवं उनके द्वारा समर्पित आवेदन, प्रत्युतर, निम्न न्यायालय का आदेश एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि मौजा–मनुवा, थाना नं०–139 के खाता नं०–72 प्लॉट सं०–1242 कुल रकवा–0.10 ए० भूमि गैरमजरूआ खास खाते की भूमि है। अपीलार्थी केवाला से एवं विपक्षी सरकारी बंदोबस्ती से भूमि प्राप्ति का दावा करते है। अपीलार्थी का विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि वास्तविक तथ्य यह है कि मौजा–मनुवा के खाता नं०–72 प्लॉट सं०–1242 की भूमि दिनांक–15.12.1930 को मो० अब्दुल सकुर को बंदोबस्ती से हासिल हुई एवं अब्दुल सकुर द्वारा उक्त बंदोबस्ती भूमि के खाता नं०–72 प्लॉट सं०–1242 का रकवा–06 डी० भूमि दिनांक–03.10.1980 को निबंधित विक्रय पत्र संख्या–11299 के माध्यम से अमिर हमजा कुरैसी को विक्रय कर दिये जिसपर खरीदगी के पश्चात अमिर हमजा कुरैसी का शांतिपूर्ण दखल कब्जा होकर उनके द्वारा प्रश्नगत भूमि पर आवासीय भवन का निर्माण कराये एवं जमाबंदी रजि०–II के भोल्युम नं०–2 पेज नं०–34 में कायम हुई एवं मालगुजारी रसीद निर्गत हुई। अमिर हमजा	

कुरैसी द्वारा उक्त खरीदगी 06 डी० भूमि निबंधित विक्रय पत्र संख्या—13516, दिनांक—30.08.2006 के माध्यम से हाजी मो० कलिम को विक्रय किये, जिसपर हाजी मो० कलिम द्वारा खरीदने के पश्चात शांतिपूर्ण दखलकार हुए एवं जिनके नाम से दाखिल खारिज वाद संख्या—48/10—11 के माध्यम से दाखिल खारिज होकर मालगुजारी रसीद निर्गत हुई। चूँकि प्रश्नगत खाता नं०—72 सर्वे खतियान में गैरमजरूआ भूमि दर्ज होने से एवं राज्य सरकार द्वारा गैरमजरूआ भूमि का निबंधन प्रतिबंधित होने से हाजी मो० कलिम द्वारा प्रश्नगत खाता प्लॉट की उक्त 06 डी० भूमि अपीलार्थी की पत्नी श्रीमति मंजू देवी, पति—श्री विजेन्द्र ठाकुर को विक्रय करने का दस्तावेज निष्पादित किया एवं जमीन मय मकान श्रीमति मंजू देवी के सुपुर्द कर दिया। जिसपर श्रीमति मंजू देवी अपने परिवार सहित शांतिपूर्ण निवास करते हुए उपयोग व उपभोग करती चली आ रही है। रिस्पोंडेन्ट संख्या—01 रामेश्वर बेदिया द्वारा निम्न न्यायालय में भूमि के दावा व दखल संबंधित कोई भी दस्तावेज दाखिल नहीं किये मात्र उनका दावा है कि वे जाति के बेदिया है एवं अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आते है एवं प्रश्नगत खाता नं०—72 प्लॉट नं०—1242 उनको बंदोबस्ती वाद संख्या—160/88—89 से हासिल है, जिसका दाखिल खारिज वाद संख्या—160/88—89 हैं। भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा सूचना निर्गत कर अपीलार्थीगण/विपक्षी से कारण पृच्छा की मांग करने पर अपीलार्थीगण निम्न न्यायालय में उपस्थित होकर अपना कारण पृच्छा भी समर्पित किये एवं छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत बंदोबस्ती भूमि या गैरमजरूआ भूमि पर भू—वापसी का मामला नहीं बनता है, इस बात को रखने एवं प्रश्नगत भूमि पर अपीलार्थी के विक्रेताओं का 1930 से दखल कब्जा होने संबंधित सभी दस्तावेज प्रस्तुत करने के बावजूद भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा अपीलार्थीगण के विधिसम्मत तथ्यों से संतुष्ट हुए बिना आवेदक/रिस्पोंडेन्ट संख्या—01 के भू—वापसी आवेदन को स्वीकार किया गया। उन्होनें भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा भू—वापसी वाद संख्या—19/2017—18 में दिनांक—06.12.2022 को पारित आदेश को निरस्त करते हुए अपील आवेदन स्वीकृत करने का अनुरोध किया है।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि अपीलार्थी गैर आदिवासी जाति के है, एवं विपक्षी आदिवासी जाति के बेदिया है, जो अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आते है। प्रश्नगत भूमि मौजा—मनुवा, थाना—माण्डू हाल थाना—गिद्दी 'ए' के खाता नं०—72 प्लॉट नं०—1242 कुल रकवा—10 डी० जिसकी चौहद्दी उत्तर—नीज, दक्षिण—सड़क, पूरब—परती कदीम, पश्चिम—चरका बेदिया दर्ज है। भूमि विपक्षी रामेश्वर बेदिया, पिता—बसिया बेदिया के नाम से भू—बंदोबस्ती से हासिल हैं। जिसका दाखिल खारिज भू—बंदोबस्ती वाद संख्या—160/88—89 हैं। जिसका तारीख 03.01.1989 हैं। जो बंदोबस्ती पर्चा में दर्ज हैं। बंदोबस्ती के वाद दर्ज खाता प्लॉट की भूमि में लगातार शांतिपूर्वक जोत दखलकार रहे हैं, और अंचल अधिकारी, माण्डू से लगातार सालों साल जमाबंदी मालगुजारी रसीद प्राप्त किये, जिसका

मालगुजारी रसीद अद्यतन चला आ रहा हैं, जो अंचल माण्डू के पंजी-II के पेज संख्या-196/2 पर रामेश्वर बेदिया पिता-बसिया बेदिया के नाम पर कायम हैं। जमाबंदी ऑनलाईन हैं, जिसमें प्रश्नगत भूमि के साथ मौजा-मनुवा थाना नं०-139, खाता नं०-72, प्लॉट नं०-1242, 10 डी० एवं प्लॉट नं०-259, 20 डी० कुल रकवा-30 डी० का जमाबंदी सम्मिलात कायम हैं। अपीलार्थीगण लगातार 2 वर्षो से बेदखल किये हुए थे। विपक्षी रामेश्वर बेदिया पिता-बसिया बेदिया ग्राम-मनुवा, पोस्ट-हेसला, थाना-गिद्दी 'ए', जिला-रामगढ़ के द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा-46(4A) के तहत् विजेन्द ठाकुर, पिता-रघुनन्दन ठाकुर, धर्मेन्द्र ठाकुर, ग्राम-मनुवा टोला-बिझार, पोस्ट-हेसला, थाना-गिद्दी 'ए', जिला-रामगढ़ के विरूद्ध भू-वापसी वाद न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ में दाखिल किया गया था, जिसका वाद संख्या-19/2017-18 हैं। प्रश्नगत भूमि मौजा-मनुवा के खाता नं०-72, प्लॉट नं०-1242, रकवा-0.10 ए० भूमि जिसकी चौहद्दी उत्तर-नीज, दक्षिण-सड़क, पूरब-परती कदीम, पश्चिम-चरका बेदिया वाके दर्ज भूमि पर भू-वापसी वाद चला हैं। जिसके आलोक में दिनांक-06.12.2022 को आवेदक रामेश्वर बेदिया, पिता-बसिया बेदिया, मौजा-मनुवा, थाना-माण्डू हाल थाना-गिद्दी 'ए', जिला-रामगढ के हक में अंचल अधिकारी जॉच प्रतिवेदन के आधार पर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम-1908 की धारा-46(4A) के प्रावधानों के तहत् आवेदित भूमि मौजा-मनुवा, थाना नं०-139, खाता नं०-72, प्लॉट नं०-1242, रकवा-0.10 ए० भूमि से विपक्षी को उच्छेदित करने का आदेश पारित करते हुए अंचल अधिकारी, माण्डू को 30 दिनों के अंदर उक्त भू-खण्ड पर बंदोबस्तीधारी रैयत दखल दिया कर दखल दिहानी प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी का न्यायालय में भेजने का आदेश सुनिश्चित हैं। जिस आदेश पर भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ का हस्ताक्षर सनद हैं। अपीलार्थीगण विजेन्द्र ठाकुर वगैरह का दावा है कि प्रश्नगत भूमि खाता नं०-72, प्लॉट नं०-1242, रकवा-06 डी० भूमि दिनांक-30.10.1980 को निबंधित विक्रय पत्र संख्या-11299 के माध्यम से अमिर हमजा कुरैसी से हाजी मुहम्मद कलीम को विक्रय पत्र संख्या-13516 हैं। दिनांक-30.08.2006 हैं। इसके बाद प्रश्नगत भूमि खाता नं०-72, प्लॉट नं०-1242, रकवा-0.06 ए० अपीलार्थी की पत्नी श्रीमति मंजू देवी, पति-श्री विजेन्द्र ठाकुर को विक्रय करने का दस्तावेज निष्पादित किया। जिसपर मंजू देवी अपने परिवार सहित शांतिपूर्ण रूप से उपयोग करती चली आ रही हैं, जो कि बिलकुल मनगढ़ंत बाते हैं। वास्ते अपीलार्थीगण के पास प्रश्नगत भूमि संबंधी कोई वैध कागजात नहीं हैं। मात्र एकरारनामा के आधार पर दावा करते हैं। जो न्याय संगत के विरूद्ध हैं। वास्तविक तथ्य है कि, प्रश्नगत भूमि मौजा-मनुवा थाना-माण्डू, हाल थाना-गिद्दी 'ए', थाना नं०-139, जिला-रामगढ़ के खाता नं०-72, प्लॉट नं०-1242, रकवा-0.10 ए० भूमि जिसका चौहद्दी उत्तर-नीज, दक्षिण-सड़क, पूरब-परती कदीम, पश्चिम-चरका बेदिया हाल चौहद्दी उत्तर-नीज, दक्षिण-सड़क, पूरब-पेट्रोल पम्प, पश्चिम-विजेन्द्र ठाकुर का मकान दर्ज भूमि

विपक्षी रामेश्वर बेदिया पिता–बसिया बेदिया के नाम भू–बंदोबस्ती प्राप्त हैं। जो खास गैरमजरूआ जमीन हैं। जिसका सरकारी मालगुजारी रसीद रामेश्वर बेदिया के नाम से अद्यतन चला आ रहा है, गैरमजरूआ खतियान में दर्ज हैं, जो अंचल माण्डू के पंजी–II के पेज संख्या–196/2 में दर्ज हैं। जिसका मोटेशन वाद संख्या–160/88–89 हैं। जिस भूमि से अपीलार्थी विपक्षी को लगातार अवैध रूप से बेदखल किये हुए हैं। जिसके आलोक में न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ के द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–46(4A) के तहत् भू–वापसी वाद संख्या–19/17–18 के तहत् विपक्षी को डीक्री प्राप्त है। अतः श्रीमान् से विपक्षी द्वारा प्रार्थना है कि भू–वापसी वाद संख्या–19/17–18 दिनांक–06.12.2022 को पारित आदेश को यथा स्थिति बरकरार बहाल रखते हेतु भू–वापसी अपील वाद संख्या–27/2023 को खारिज करने का कृपा करें। उन्होनें भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा भू–वापसी वाद संख्या–19/2017–18 में दिनांक–06.12.2022 को पारित आदेश को यथावत् रखते हुए अपील आवेदन अस्वीकृत करने का अनुरोध किया है।

अंचल अधिकारी, माण्डू ने पत्रांक–2007, दिनांक–01.11.2023 के द्वारा प्रतिवेदित किया है कि मौजा–मनुवा, थाना नं०–139 के खाता नं०–72 प्लॉट सं०–1242 कुल रकवा–0.10 ए० भूमि का मापी किया गया, मापी जाँच में पाया कि उक्त भूमि खाता नं०–72 प्लॉट सं०–1242 वर्तमान में विजेन्द्र ठाकुर वगै० के दखल कब्जा में है।

सरकारी अधिवक्ता ने अपने बहस के दौरान कहा कि प्रश्नगत भूमि गैरमजरूआ खास खाते की भूमि है। अपीलार्थी के द्वारा सादा एकरारनामा से भूमि प्राप्ति का दावा करते है जबकि विपक्षी को उक्त भूमि भू–बंदोबस्ती वाद संख्या–160/88–89 से प्राप्त है। विपक्षी अनुसूचित जनजाति के सदस्य है। इसलिए भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा पारित आदेश नियमसंगत प्रतीत होता है।

उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन से, सरकारी अधिवक्ता के मंतव्य से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि गैरमजरूआ खास खाते की भूमि है। अपीलार्थी उक्त भूमि सादा एकरारनामा से प्राप्ति का दावा करते है जबकि विपक्षी अनुसूचित जनजाति के सदस्य है, जिन्हें भूमिहीन के तहत् गैरमजरूआ खास भूमि जो मौजा–मनुवा, थाना नं०–139 के खाता नं०–72 प्लॉट सं०–1242 कुल रकवा–0.10 ए० भूमि बंदोबस्ती वाद संख्या–160/88–89 से बंदोबस्त की गई है। अंचल अधिकारी, माण्डू के जाँच प्रतिवेदन के अनुसार गैर आदिवासी द्वारा उक्त भूमि से विपक्षी को 02 वर्षो से बेदखल कर चाहरदीवारी का निर्माण कराये है, जो छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–46(4A) का उल्लंघन प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त परिस्थिति मे भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा भू–वापसी वाद संख्या–19/2017–18 रामेश्वर बेदिया बनाम बिजेन्द्र ठाकुर मे दिनांक–06.12.2022 को पारित आदेश को छोटानागपुर काश्तकारी

अधिनियम–1908 की धारा–46(4A) के तहत पारित आदेश को यथावत् रखते हुए अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। निम्न न्यायालय का अभिलेख एवं आदेश की प्रति भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ को वापस करें।

उपरोक्त आदेश के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

संचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

Chandan 20/02/24

उपायुक्त,
रामगढ़।

Chandan 20/02/24

उपायुक्त,
रामगढ़।

Digitally signed by Chandan Kumar
Date: 2024.03.11 16:57:00 +05:30
Location: 192.168.169.197